कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2926 /FP/UK/ ROAD/19494/2016 :दिनांकः 15 जून, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में।

सन्दर्भ :–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के कार्यालय पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/26/2020/एफ0सी0/2860 दिनांक 06.03.2020।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 06.03.2020 के क्रम में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 2499/12–1(2) दिनांक 13.03.2023 एवं पत्रांक 3307/12–1(2) दिनांक 29.05.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा 10 बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना/विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	As per DSS analysis of CA area it is found that KML file of 3.20 ha is found uploaded in place of 3.85 ha, out of which 2.00 ha area is falling in MDF proposed in civil and soyam land. State Goverment may upload KML file of 3.85 ha and submit the plantation scheme in lieu of area falling in MDF.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र पार्ट I के एल0 सैक्शन में अपलोड कर लिये गये हैं तथा के0एम0एल0 भी सही कर ली गयी है।(प्रपत्र संलग्न है)
2	Working plan details area incomplete and incorrect at para 5 of Part II State Goverment may provide correct information in this regard	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का निराकरण ऑनलाईन कर दिया गया है।
3	Details filled at para 7 Part II regarding found incorrect. State Government may provide the correct information against para 7. Part II Le. "Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest (in km.)	उक्त प्रस्ताव के मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस कारण वन की सीमा से प्रस्तावित स्थल की अनुमानित दूरी शून्य अंकित की गयी है।
4	It is seen that DFO has not made any comment against para 5.3 in Site Inspection Report. State Government may submit the Site Inspection Report after ensuring that the comments against each para have been made.	आपत्ति का निराकरण के क्रम में नवीन स्थलीय निरीक्षण आख्या तैयार कर पुनः अपलोड कर लिया गया है।
5	One road is seen constructed towards southern side of the target village which could have been extended upto the target village to avoid forest land in general and 1773 ha of RF land in particular. State Government may submit detailed justification in this regard.	आपत्ति का निराकरण के क्रम में नवीन स्थलीय निरीक्षण आख्या तैयार कर पुनः अपलोड कर लिया गया है।

6	The note containing justification for locating the project in forest land uploaded at para- D. Part 1 is not satisfactory. State Government may submit revised justification in details.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य पार्ट । के सैक्शन डी0 में अपलोड कर लिया गया है।
7	Alternate alignment uploaded at para D (ii). Part 1 is not justified. State Government may explore the alternate alignment in view of point No. 5 above.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अन्य उपयुक्त वैकल्पिक संरेखण उपलब्ध न होने के कारण पूर्व में ही चयनित वैकल्पिक संरेखण प्रस्तावित किया गया है।
8	Name of Gram Panchayat is mentioned as Mujoli in the Village Level Committee (VLC) meeting proceedings of Malayangaon and same is also signed by Gram Pradhan of Mujholi Gram Panchayat instead of Gram Pradhan of Malayangaon. State Government may clarify this and submit the correct documents.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग में राजस्व ग्राम मुझोली के ग्रामवासी लाभान्वित होते है। वी0एल0सी0 मीटिंग के प्रपत्र ठीक कर लिये गये हैं।
9	Geo-referenced digital map of CA area uploaded at para L. and 13 of Part I & II respectively not authenticated by DFO. State Govt. may submit/ upload the original copy of digital map of the area proposed for CA duly authenticated by DFO.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र पार्ट–। के एल0 सैक्शन में अपलोड कर लिये गये हैं।
10	For calculation of quantity of muck likely to be generated, the width of road is taken as 3.00 m instead of 6.00m which has resulted into underestimation of muck, State Government may submit the correct and complete muck disposal plan taking the width of road as 6.00m.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण की गणना 3.00 मी0 चौड़ाई के स्थान पर 6.00 मी0 चौड़ाई में कर ली गयी है, जिसमें Annexure-1 प्रपत्र की बदला जाना है, जिसे संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षक के माध्यम से प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :2926 / FP/UK/ROAD/19494/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को उनके पत्रांक 3307 / 12–1(2) दिनांक 29–05–2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

15/6/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9c